

# डिगरी व मुकदमे इत्तवाई

अज अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ

श्री काकड मोहम्मद वनाम (1) श्री अमरजीन डी. सुबानबाई मुतलगाण श्री देवगढ  
 श्री गूल मोहम्मद नि. दावा अन्तर्गत धारा 88-88-188 RTA  
 मुकदमा नं. 18/16. दे. दे. सन

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कालई रुबरु

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुपम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

श्री देवगढ की आने वाले 4005 रुबरा 0.07 हिस्सा  
 में वाकीगण का 2/3 हिस्सा एवं उतिवादी का 1/3 हिस्सा  
 इस करने के बावजूद दिये जाते हैं। साथ ही श्री देवगढ  
 की आने वाले 4008 रुबरा 0.03 में वादी का 2/3 हिस्सा  
 नीज मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर

फीसदी सालना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख

17 मास 01

सन 2019.

की जारी की गई।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
 देवगढ जिला-राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै०	मुदायला	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजी दावा	8 =	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	2 =	00	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील ) पर		
महनताना वकील ) पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक	6 =	00			
मीजान	16 =	00	मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।